न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 3 / 2024
दायर दिनांक : 02 / 12 / 2024
निर्णय दिनांक : 11 / 12 / 2024

उनवान

1. उदयराम पिता रतनलाल जाट निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर

अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, जाशमा तहसील भूपालसागर
2. तहसीलदार, भूपालसागर
3. बालूराम पिता रतनलाल जाट निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
4. कमला पुत्री रतनलाल जाट निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
5. पारस पुत्री रतनलाल जाट निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
6. सीता पुत्री रतनलाल जाट निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर
7. सुन्दर पत्नी रतनलाल जाट निवासी जाशमा तहसील भूपालसागर

रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अंतर्गत धारा – 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति : 1. श्री आसिफ ईकबाल, अधिवक्ता अपीलान्ट

: : संशोधित निर्णय : :

वकील अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 प्रस्तुत की, जिसका विवरण इस प्रकार है :

यह कि ग्राम जाशमा पटवार हल्का जाशमा के हल्के बैरूनी में मुझ अपीलान्ट के पिता की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात स्थित है जिसके हाल आराजी नंबर 4109 रकबा 0.1 है., आ.सं. 4110 रकबा 0.07 है., आ.सं. 4112 रकबा 0.19 है., आ.सं. 4298 रकबा 0.05 है., आ.सं. 4321 रकबा 0.45 है., आ.सं. 5136 रकबा 0.54 है., आ.सं. 5137 रकबा 0.066 है. किता 7 रकबा 1.48 है. स्थित है। वजह सबूत नकल जमाबंदी हाल सम्वत 2072–75 अपील के साथ पेश है। मुझ अपीलान्ट के पिता खातेदार रतनलाल पिता हीरा की उक्त कॉलम सं. 1 में वर्णित आराजियात खातेदारी हक से दर्ज थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा मेरे पिता के नाम का ही [illegible] खातेदार रतनलाल पिता हीरा जाट की भी कृषि आराजियात ग्राम जाशमा में स्थित है जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है जिनके नामान्तरण की कार्यवाही की गई दोनों खातेदारों के नाम एक होने [illegible] से रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से लगाकर 7 तक का नाम गलत लगा कर नामान्तरण संख्या [illegible] दिनांक [illegible] 06.2024 निर्णित कर नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से लगाकर 7 तक के पक्ष में खोल दिया जो प्रथम दृष्टिया ही निरस्त करने योग्य है। वजह सबूत नामान्तरण संख्या 3572 की नकल व जमाबंदी की नकल अपील के साथ पेश है। नामान्तरण ग्राम पंचायत, जाशमा के द्वारा बिना जांच किये निर्णित कर दिया जिसे निरस्त कर मुझ अपीलान्ट के पिता रतनलाल पिता हीरा के नाम अपील की

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.05.07 18:03:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

कॉलम सं. 1 में वर्णित आराजी में पुनः नामान्तरण खोला जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 2 भूमिधारी होकर आवश्यक पक्षकार होने से संयोजित किया गया है। दिनांक 30.11.2024 को नामान्तरण की नकल व जमाबंदी की नकल लेने से जानकारी हुई इसलिए अपील कारण उक्त दिनांक से पैदा होकर निरन्तर जारी है। नामान्तरण दिनांक 06.06.2024 को फैसल हुआ तथा अपीलान्ट को जानकारी दिनांक 30.11.2024 को हुई जिसे 4 महीना अपील पेश करने की देरी हुई देरी अवधि को समायत करने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार कर नामान्तरण सं. 3572 दिनांक 06.06.2024 को निरस्त कर अपील की कॉलम सं. 1 में वर्णित हाल आराजी नंबर में मुझ अपीलान्ट के पिता का नाम पुनः खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 से लगायत 7 की ओर से वकील श्री देवीलाल जाट ने अधिकार पत्र व जवाब दफा 5 का जवाब पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 7 उपस्थित आऐ व दफा 5 मियाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित किया की कॉलम संख्या 1, 2, 3 स्वीकार है, अपील भी स्वीकार है। अपीलान्ट को स्वीकार करने योग्य है, हम रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 5, 6, 7 का नाम नामान्तरण में सहवन से लग गया है, जिसे दुरूस्त किया जाता है तो हम रेस्पोडेन्ट को कोई एतराज नहीं है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर उक्त नामान्तरण को निरस्त करा अपील की कॉलम सं. 1 में वर्णित हाल आराजी नंबर में अपीलान्ट के पिता का नाम पुनः खातेदारी में दर्ज किये निवेदन किया। वकील रेस्पोडेन्ट ने दफा 5 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ प्रार्थना पत्र दफा 5 व अपील स्वीकार कर नामान्तरण निरस्त किया जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया। उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा गलत नामान्तरण खोला जाने की पुष्टि स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 7 ने उपस्थित आकर की है। अतः रेस्पोडेन्ट सं. 1 के जवाब की आवश्यकता नहीं रहती है, रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, दफा 5 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 3572 दिनांक 06.06.2024 को अपास्त किया जाता है, प्रकरण तहसीलदार, भूपालसागर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विधिवत दोनों को पक्षों सुना जाकर नये सिरे से नियमानुसार इंतकाल खोला जाने की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Purit Kumar Gelra
Date: 2025.05.07 19:03:11 IST
Reason: SelfAttested

(पुनित कुमार गेलड़ा)
कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर